फर्द अहकाम

लादूराम बनाम सन्तोष

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर

केस संख्या दफा 38(2)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/09/25	पत्रावली वास्ते अभियोजन पक्ष की। वकील उभयपक्ष हाजिर है। साक्ष्य के द्वारा वाद को साबित करने में असफल रहने पर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 0821 ए(3) सपठित धारा 151 CPC में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में लिया जाकर प्रदर्श ए-21 से ए-23 के रूप में शामिल मिसल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया जाता है। पुनरावलोकन निर्णय अलग से दी जाती है। पत्रावली फर्द नकल से काटकर पेशकार सुपुर्द किया जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12/09/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर